**प्रेस विज्ञप्ति**

**11/03/2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने गुरप्रीत सिंह सभरवाल प्रोपराइटर मेसर्स तिरुपति रोडवेज के प्रमुख सहयोगियों में से एक मोहित गोयल को 08.03.2025 को गिरफ्तार किया है, जिसकी ईडी द्वारा पीएमएलए, 2002 के तहत जांच की जा रही है, क्योंकि वह एसीबी, हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 9/2022 में आरोपी है, जिसमें 134 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध खनन का आरोप लगाया गया है। मोहित गोयल को पीएमएलए, 2002 के तहत उक्त अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। 08.03.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पंचकूला के समक्ष पेश किए जाने पर, उन्हें 13.03.2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।

ईडी ने राज्य सतर्कता ब्यूरो (एसवीबी), पंचकूला, हरियाणा द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स तिरुपति रोडवेज, मालिक गुरप्रीत सिंह सभरवाल के खिलाफ हरियाणा सरकार को राजस्व की भारी हानि पहुंचाने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि मेसर्स तिरुपति रोडवेज वर्ष 2022 में खनन ठेका आवंटित होने के बाद से अवैध खनन कर रहा था और हरियाणा सरकार के भूविज्ञान और खनन विभाग द्वारा उसे दो बार भारी जुर्माना लगाया गया था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मेसर्स तिरुपति रोडवेज ने अवैध खनन से 134 करोड़ रुपये के अपराध के आगम (पीओसी) उत्पन्न किए। मोहित गोयल कथित रूप से मेसर्स तिरुपति द्वारा किए जा रहे अवैध खनन से नकदी में उत्पन्न पीओसी को संभाल रहा है। इसके अलावा, मोहित गोयल ने असुरक्षित ऋण की आड़ में अपने बैंक खातों में काफी मात्रा में धनराशि प्राप्त की है और परिणामस्वरूप पीओसी को शोधित किया है। इसके अलावा, मोहित गोयल द्वारा गुरप्रीत सिंह सभरवाल द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित विभिन्न कंपनियों में पीओसी का उपयोग करके पर्याप्त निवेश किए जाने का पता चला है।

08.03.2025 को मेसर्स तिरुपति रोडवेज के मामले में तलाशी ली गई, जिसके द्वारा डिजिटल डिवाइस और अत्यधिक अपराध-संकेती सामग्री जब्त की गई, जिसके परिणामस्वरूप कई बैंक खाते/एफडी फ्रीज कर दिए गए, जिनमें कुल 4.39 करोड़ रुपये की शेष राशि थी। ईडी चंडीगढ़ ने पहले भी उक्त मामले में विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और 2.12 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई थी।

आगे की जांच जारी है।